भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 688

23 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना

688.श्री बाबू सिंह कुशवाहाः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश सहित देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश, विशेषकर जौनपुर लोक सभा क्षेत्र में उक्त योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का पीडीएस योजना के अंतर्गत गेहूं और चावल के अलावा अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यवार धनराशि आबंटित नहीं की जाती है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) उन राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है जिन्होंने आबंटन के अनुसार केंद्रीय योजना के लाभार्थियों को खाद्यान्न की खरीद/वितरण के लिए विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति का विकल्प चुना है। अन्य गैर-डीसीपी राज्य अपने आबंटन के अनुसार भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाते हैं। पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी के रूप में जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

..2/-

(ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत उत्तर प्रदेश सहित देश भर में चावल, गेहूं और मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

(ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की वर्तमान संख्या 14.98 करोड़ है, जिसमें जौनपुर जिले में 34.65 लाख लाभार्थी शामिल हैं।

(घ) और (ङ): दिनांक 01.06.2017 से, भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं और चावल के अतिरिक्त, इस योजना नामतः एएवाई परिवारों के लिए पीडीएस के अंतर्गत देय चीनी सब्सिडी, के अंतर्गत प्रति माह प्रति एएवाई परिवार 1 किलोग्राम चीनी भी 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान की जा रही है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का योजनावार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्य सब्सिडी के रूप में जारी की गई राज्य-वार निधि का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (18.07.2025 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	8424.72	9323.40	6636.00	6268.20	8399.00	345.88
2.	बिहार	4117.33	7671.90	10966.00	6557.60	9725.40	1463.63
3.	छत्तीसगढ़	7193.13	9047.80	7574.80	5236.10	5695.60	17.20
4.	गुजरात	9.24	749.43	311.54	267.83	138.87	-
5.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	47.38	-	-
6.	झारखंड	3.66	-	-	42.77	502.99	-
7.	कर्नाटक	323.99	1682.10	2191.80	1222.10	1281.20	203.77
8.	केरल	1214.98	1777.90	1544.90	1151.90	1062.40	-
9.	मध्य प्रदेश	11946.40	14421.00	9471.50	16939.00	10189.00	1036.83
10.	महाराष्ट्र	2555.74	4082.10	2725.80	3923.30	327.74	-
11.	ओडिशा	8985.73	7892.70	7600.10	14474.00	9948.80	520.64
12.	पंजाब	1761.53	2047.50	1202.50	2064.60	2572.70	-
13.	तमिलनाडु	3109.76	6250.90	8686.00	7072.50	6033.90	30.82
14.	तेलंगाना	6879.59	7665.00	5242.80	5367.10	4178.30	68.78
15.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	9.09	-
16.	उत्तराखंड	1371.33	1554.40	1212.30	724.39	1159.30	119.92
17.	पश्चिम बंगाल	8792.03	5421.30	6580.10	-	8899.90	28.36
18.	त्रिपुरा	29.79	15.58	148.67	106.51	64.26	-
कुल		**66719.00**	**79603.00**	**72095.00**	**71465.00**	**70188.00**	**3835.83**

*****

अनुबंध-II

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चीनी सब्सिडी के रूप में जारी की गई राज्य-वार निधि का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (18.7.25 तक)
1	आंध्र प्रदेश	5.59	20.34	15.20	35.28	10.08	10.22
2	छत्तीसगढ़	15.96	15.96	12.40	11.58	12.89	-
3	दिल्ली	2.68	2.20	2.20	-	2.54	-
4	गोवा	-	-	0.60	-	0.29	-
5	गुजरात	27.07	22.04		22.41	-	21.49
6	हरियाणा	5.05	1.15	5.60	4.24	1.21	-
7	हिमाचल प्रदेश	-	8.08	3.50	-	12.12	-
8	जम्मू एवं कश्मीर	2.08	2.54	4.80	1.29	10.14	-
9	झारखंड	-	33.38		-	20.16	9.40
10	कर्नाटक	-			-		-
11	केरल	6.37		21.50	9.21	7.02	-
12	मध्य प्रदेश	-		12.93	99.48	42.29	-
13	महाराष्ट्र	32.12	60.44	45.90	37.34	31.90	-
14	मिजोरम	-			1.06	1.45	-
15	नागालैंड	1.05	1.05	1.10	1.06	1.06	-
16	राजस्थान	6.94	-	-	-	-	-
17	सिक्किम	0.18	0.73	0.20	0.37	0.37	0.37
18	तमिलनाडु	32.08	31.05	62.10	31.04	61.05	10.35
19	त्रिपुरा	-	10.41		1.81	5.99	-
20	उत्तर प्रदेश	-		87.30	127.83	84.41	-
21	उत्तराखंड	-		-	18.63	-	7.11
22	पश्चिम बंगाल	60.76	37.38	24.20	16.33	58.92	8.51
23	तेलंगाना	5.43	3.25	1.30	1.05	3.19	0.34
	कुल	**203.37**	**250.00**	**300.83**	**420.00**	**367.08**	**67.79**
	आबंटित बजट	**203.37**	**250.00**	**301.08**	**420.00**	**367.08**	**420.00**

*****